न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 05 / 2022
GCMS No. 2022/57

दायरा दिनांक 07.07.2022

पीठासीन अधिकारी :– श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1. किरण पुत्री गंगाराम पत्नि कालीचरण जाति किराड निवासी तेलनी तहसील शाहबाद जिला बारां
2. लक्ष्मी पुत्री गंगाराम पत्नि कल्याण जाति किराड निवासी सेमली फाटक तहसील शाहबाद जिला बारां
3. रेखा पुत्री गंगाराम पत्नि राजू जाति किराड निवासी बांसखेडा माल तहसील शाहबाद जिला बारां

– अपीलाण्टस

बनाम

1. महेश्वरी पुत्री गंगाराम पत्नि सुरेश जाति किराड निवासी निवाडी तहसील शाहबाद जिला बारां
2. सीमा पुत्री गंगाराम पत्नि रामसिंह जाति किराड निवासी रातई खुर्द तहसील शाहबाद जिला बारां
3. रामो पत्नि गंगाराम हाल पत्नि परसादी जाति किराड निवासी खैराई तहसील शाहबाद जिला बारां
4. रमेश पुत्र उंकार जाति किराड निवासी खटका तहसील शाहबाद जिला बारां
5. सुआ पुत्री उंकार पत्नि घनश्याम जाति किराड निवासी राजपुर तहसील शाहबाद जिला बारां
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहबाद।

– रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल – अभिभाषक अपीलान्ट।
श्री हेमराज नामदेव, श्री पंकज शर्मा – अभिभाषक रेस्पोडेण्ट।

निर्णय

दिनांक 24.07.2024

अपील विरूद्ध निर्णय नायव तहसीलदार केलवाडा दिनांक 28.08.1990 नामान्तरकरण संख्या 137 ग्राम नौनपुरा तहसील शाहबाद बारां राज0

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 28.08.1990 ग्राम नौनपुरा को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेण्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।

ग्राम नौनपुरा पटवार हल्का अजरोडा तहसील शाहबाद में आराजी खसरा नम्बर 183 रकबा 16.06 बीघा एवं खसरा नम्बर 201 रकबा 6.10 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 22.16 बीघा स्थित है यह आराजियात अपीलान्टस् के पितामह उंकार पुत्र देवकिशन जाति किराड निवासी खटका के खाते की रही है उंकार की मृत्यु के उपरान्त सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है जो हिन्दू उत्तराधिकारों के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है क्यों कि खातेदार उंकार की मृत्यु के समय उनके वारिसान का सजरा निम्न प्रकार था।

उंकार पुत्र देवकिशन

पुत्र	पुत्री	बेवा
	सावो	सुन्दर

1. मांगीलाल
2. रमेश
3. गंगाराम (पूर्व मृत)
   - 3/1 किरण पुत्री
   - 3/2 लक्ष्मी पुत्री
   - 3/3 रेखा पुत्री
   - 3/4 महेश्वरी पुत्री

Scanned with OKEN Scanner

3/5 सीमा पुत्री
3/6 रामो पत्नि

सम्मानीय अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक करते वक्त मृतक खातेदार के सगे पुत्र गंगाराम जिसकी मृत्यु उंकार से पहले हो चुकी थी के समस्त वैधानिक वारिसान जो अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट क्रम 1 व 2 थे उनके नामान्तरकरण तस्दीक न करते हुये उनकी पत्नि रामो के नाम तस्दीक किया है जो कि पूर्णतः विधि विरूद्ध है क्योंकि अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट क्रम 1 व 2 मृतक खातेदार उंकार के सगे पुत्र गंगाराम की पुत्रियां होने के कारण अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज कराने की हकदार थी जबकी ग्राम जागदा की आराजी खसरा नम्बर 41/197 में तथा ग्राम भावतीपुरा की आराजी खसरा नम्बर 218, 221, 314 तथा ग्राम निवाडी की आराजी खसरा नम्बर 380, 381, 385, 424 व 486 की आराजियात में अपीलान्टस व रेस्पोडेण्ट क्रम 1 व 2 को मृतक खातेदार उंकार के सगे पुत्र गंगाराम को गंगाराम की वैधानिक वारिस/उत्तराधिकारी मानते हुये 1/5 हिस्से का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है।

प्रश्नगत नामान्तकरण के पक्षकार मांगीलाल पुत्र उंकार लाऔलाद एवं अविवाहित फौत हुआ है व सुन्दर पत्नि उंकार भी फौत हो चुकी हैं जिनके वारीसान इस अपील में पक्षकार हैं इनके अलावा वारीस/कायममुकाम नहीं है।

प्रश्नगत नामान्तरकरण अपीलान्ट को कोई सूचना दिये बिना बाला–बाला तस्दीक किया गया है जिसकी अपीलान्टस को कोई जानकारी नहीं थी। अपीलान्टस् को उक्त नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.06.2022 को पटवारी हल्का से नकल नामान्तरकरण लेने पर हुई है जानकारी के अभाव में हुई देरी के लिए धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों पर डिले कन्डोन किये जाने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अपीलान्ट द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने पर देरी को माफ करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत पृथक से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जो शामिल पत्रावली है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आवंटन की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.06.2022 को तत्पश्चात् नकल प्राप्त करने पर हुई। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 में वर्णित कारणों से हम सहमत हैं। अतः प्रस्तुत अपील में डिले को माफ करते हुए अवधि मध्य मानी जाकर अपील विचारार्थ स्वीकार की जाती है।

विद्वान अभिभाषक ने रेस्पोडेण्ट क्रम 1 व 2 की ओर से अपील जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :

1. यह कि अपील की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी खसरा संख्या 183 रकबा 16.06 बीघा, खसरा संख्या 201 रकबा 6.10 बीघा किता 2 कुल रकबा 22.16 बीघा ग्राम नोनपुरा में स्थित होना स्वीकार है। आराजी अपीलान्ट तथा रेस्पोडेण्ट क्रम 1व 2 के पितामह उंकार पुत्र देवकिशन के खाते की होना स्वीकार है। सजरा स्वीकार है।
2. यह कि अपील की मद संख्या 2 स्वीकार है खातेदार उंकार के मृत पुत्र गंगाराम की सगी पुत्रियों होने से रेस्पाडेण्ट क्रम 1 व 2 भी अपीलान्ट के साथ हिस्सा बराबर से अपना नाम दर्ज कराने की हकादार है।
3. यह कि अपील मद नम्बर 3 स्वीकार है मृतक सहखातेदार मांगीलाल तथा सुन्दर के अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट ही वैधानिक बारिसान हैं।
4. यह कि अपील की मद संख्या 4 स्वीकार है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र मद नम्बर 5,6 व 7 कानूनी है।

प्रार्थना अपीलान्ट विधि सम्मत होने से स्वीकार है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाण्ट के साथ रेस्पोडेण्ट क्रम 1 व 2 के नाम भी हिस्सा बराबर से नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कहा कि मृतक खातेदार के सगे पुत्र गंगाराम जिसकी मृत्यु उंकार से पहले हो चुकी थी के समस्त वैधानिक वारिसान जो अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट क्रम 1 व 2 थे उनके नामान्तरकरण तस्दीक न करते हुये उनकी पत्नि रामो के नाम तस्दीक किया है जो कि पूर्णतः विधि विरूद्ध है क्योंकि अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट क्रम 1 व 2 मृतक खातेदार उंकार के सगे पुत्र गंगाराम की पुत्रियां होने के कारण अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज कराने की हकदार थी पक्षकार मांगीलाल पुत्र उंकार लाऔलाद एवं अविवाहित फौत हुआ है व सुन्दर पत्नि उंकार भी फौत हो चुकी हैं जिनके वारीसान इस अपील में पक्षकार हैं इनके अलावा वारीस/कायममुकाम नहीं है।

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट क्रम 1 व 2 ने उपस्थित होकर अपील जबाब पेश किया जिसमें बिन्दु संख्या 1 से 4 स्वीकार कर निवेदन किया है कि अपीलान्टगणों की अपील विधि सम्मत होने से स्वीकार है। रेस्पोडेण्ट क्रम 4 व 5 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध दिनांक 29.09.2022 को ही एकतरफा कार्यवाही हो चुकी है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम 3 की ओर से जवाब पेश नहीं करना चाहते दिनांक 23.02.2023 को इनका जवाब बन्द किया गया।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार मृतक उंकार खातेदार के सगे पुत्र गंगाराम, जिसकी मृत्यु उंकार से पहले हो चुकी थी के समस्त वैधानिक वारिसान जो अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट क्रम 1 व 2 थे उनके नामान्तरकरण तस्दीक न करते हुये उनकी पत्नि रामो के नाम तस्दीक किया है मांगीलाल पुत्र उंकार लाऔलाद एवं अविवाहित फौत हुआ है। सुन्दर पत्नि उंकार भी फौत हो चुकी हैं जिनके वारीसान इस अपील में पक्षकार हैं। रेस्पोडेण्ट क्रम 1 व 2 द्वारा भी अपील जबाब में स्वीकार कर कहा कि अपीलान्ट के साथ रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के नाम भी हिस्सा बराबर से नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान करें। ग्राम नौनपुरा के मूल इंतकाल नं. 137 दिनांक 28.08.1990 का अवलोकन किया जिसमें पाया कि मृतक उंकार खातेदार के सगे पुत्र गंगाराम के स्थान पर नामान्तकरण रामो बेवा गंगाराम के नाम खोला गया है। तथा अपीलान्ट 1 ता 3 व रेस्पोडेण्ट क्रम 1 व 2 का नाम नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया गया है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम नौनपुरा का इंतकाल नं. 137 दिनांक 28.08.1990 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर मृतक गंगाराम के विधिक वारिसों की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। मूल इंतकाल नं. 137 दिनांक 28.08.1990 निर्णय की प्रति सहित तहसीलदार शाहबाद को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(जबर सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Scanned with OKEN Scanner